भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003/Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Phone number 0291-2787152 /2786485(SAO)

फाइल संख्या: 11(17)2023-2024/प्रशासन चतुर्थ/ दिनांक : 27.03.2024

## खेजड़ी फलों (सांगरियां) की नीलामी हेतु पुर्निविदा सूचना

भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर के कृषि वानिकी प्रयोगिक क्षेत्र, केंद्रीय पौधशाला, बागवानी क्षेत्र एंव कृषि विज्ञान केन्द्र (45 पेड) मे खेजडी के लगभग 745 पेड़ लगे हैं इन पेड़ों में लगने वाले खेजडी फल (सांगरियां) ऋतु वर्ष 2024 {माच–अप्रेर्ल} के दौरान उपलब्ध होंगे जिनकी नीलामी हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/पार्टी इत्यादि से मुहर बन्द निविदाएं दिनांक 02 अप्रेर्ल 2024 दोपहर 02.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र, विस्तृत विवरण, नियम व शर्ते इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है । यदि चाहें तो प्रपत्र संस्थान के कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान कार्यालय से भी प्राप्त किये जा सकते है ।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: aaostoreadmiv@gmail.com
Phone No. 0291 –2787152(AAO) / 2786485 (CAO)

फाइल संख्या 11(16)2023-2024/प्रशासन चतुर्थ/ दिनांक :27.03.2024

**खेजडी फल (सांगरियां) नीलामी हेतु निविदा आमंत्रण विवरण एवं निर्देशित नियम व शर्तें**

**निविदा स्वीकार करने की अंतिम दिनांक : 02.04.2024 समय दोपहर 2.30 बजे तक**
**निविदा खोलने की दिनांक : 02.04.2024 समय दोपहर 3.00 बजे अथवा कार्यालय के आदेशानुसार ।**

**निविदा संबंधी विवरण, नियम व शर्ते इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.inपर उपलब्ध है । इच्छुक निविदादाता इस वेब साइट से निविदा संबंधी विवरण डाउन लोड कर सकते हैं ।**

प्रेषक :
सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
भा.कृ.अनु.प.–के0शु0क्षे0अ0सं0 (काजरी ),
जोधपुर ।(राज0 ) 342 003

सेवा में
मैसर्स / श्रीमान् ——————————————————————
————————————————————————————
————————————

**विषयः**–भा.कृ.अनु.प.–के.शु.क्षे.अनु.सं., (काजरी ) जोधपुर के विभिन्न प्रायोगिक क्षेत्र में **खेजडी फल (सांगरियां)** की ऋतु वर्ष 2024 (मार्च–अप्रेल)के लिए नीलामी हेतु निविदा।

प्रिय महोदय,

इस संस्थान के निदेशक की ओर से भा.कृ.अनु.प.–के.शु.क्षे.अनु.सं., (काजरी), जोधपुर के बागवानी क्षेत्र में **खेजडी फल (सांगरियां)** की नीलामी (ऋतु वर्ष मार्च–अप्रेल 2024) हेतु इच्छुक व्यक्ति / फर्म / पार्टी इत्यादि से मुहर बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । जिसका विस्तृत विवरण, नियम व शर्ते सलंग्न अनुसार हैं।

सभी प्रकार से पूर्ण सीलबन्द निविदा अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 02.04.2024 समय दोपहर 2.30 बजें तक प्रस्तुत कर दी जाये अथवा डाक / कोरियर द्वारा पहुँच जानी चाहिए । निश्चित अंतिम दिनांक एवं समय के पश्चात निविदाएं स्वीकार्य नहीं होंगी ।

निविदाएँ दिनांक 02.04.2024 समय दोपहर 3.00 बजे अथवा कार्यालय आदेशानुसार इस संस्थान की समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के सामने संस्थान के प्रशासनिक भवन के कमेटी हॉल में खोली जाएगी ।

भवदीय

सलंग्न : उपरोक्तानुसार

सहायक प्रशासनिक अधिकारी (भण्डार)
वास्ते निदेशक

## नीलामी सामग्री की विवरणी

| कम संख्या | विवरण | कलमी खेजडी के पेड़ों की संख्या | निविदादाता द्वारा निविदा की अंकित बोली/व (स्पष्ट अंको और शब्दों में अंकित करें) |
|---|---|---|---|
| 1. | **इस संस्थान के कृषि वानिकी प्रयोगिक क्षेत्र, केद्रीय पौधशाला, बागवानी क्षेत्र एंव कृषि विज्ञान केन्द्र (45 पेड) मे खेजडी के लगभग 745 पेड़ लगे है जो कि उन्नत अधिक फल देने वाले हैं**<br><br>निर्देशः पेड़ों से खेजडी फलों (सांगरी) की अच्छी उत्पादकता लेने तथा पेड़ों के रख–रखाव हेतु नियमित सिंचाई निर्देशानुसार नीलामी के अन्तर्गत कार्यादेश मिलने के पश्चात कार्यावधि में करनी होगी । | **लगभग 745 खेजडी के पेड़** | **(अंको में) ₹**........................................<br><br>**(षब्दो में) ₹** ........................................<br>........................................<br>........................................ |

**नोट : न्यूनतम सरकारी मूल्य (Govt. minimum reserve price)₹ 85,000/-(अक्षरे रूपये पिच्यासी हजार ) मात्र रखा गया है । इस सरकारी न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य कोट की जानी वाली निविदादाता फर्म/पार्टी की निविदा दर मान्य नहीं होगी ।**

### खेजडी के फलों की नीलामी हेतु नियम व शर्ते -

1. उपरोक्त के लिए धरोहर राशि राष्ट्रीय अधिकृत बैंक द्वारा जारी ड्राफ्ट (Demand Draft)/बैंकर्स चैक (Bankers Cheque)₹ 8500.00 (शब्दों में ₹ आठ हजार पांच सौ) मात्र "ICAR Unit-CAZRI, Jodhpur" के पक्ष में निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी निविदा मान्य नहीं होगी ।
2. सरकार द्वारा निर्धारित बिकी कर/ GST(if applicable ) स्वीकृत उच्चतम सफल निविदादाता से अतिरिक्त सरकारी नियमानुसार अलग से देना होगा ।
3. इच्छुक निविदादाता उपरोक्त खेजडी के पौधों का निरीक्षण अंतिम दिनांक से पूर्व सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान इस संस्थान में उपस्थित होकर कर सकते हैं ।
4. निविदा सीलबन्द लिफाफे में उपरोक्तानुसार अंतिम दिनांक 02.04.2024 समय दोपहर 2.30 बजे तक सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है । डाक संबंधी विलम्ब के लिए काजरी कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । निविदा पत्र के लिफाफे के उपर **खेजडी के फलों की नीलामी के लिए निविदा** अवश्य लिखें । निविदा उसी दिन दोपहर 3.00 बजे अथवा कार्यालय के आदेशानुसार संस्थान की समिति द्वारा खोली जाएगी ।
5. **सफल अधिकतम दर निविदा दाता /पार्टी को नीलामी के पश्चात फलों की ऋतु (मार्च – अप्रेल) वर्ष 2024 के दौरान फल तुड़ाई संबंधित कार्य प्रातः 9.00 से दोपहर 3.00 बजे तक इस संस्थान के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में किया जायेगा, प्रत्येक पेड़ की उपज का तौल आदि का पूर्ण ब्यौरा रखा जायेगा ।** फल तुड़ाई कार्य फलो की तुड़वाई अवधि के दौरान ही पौधों के बगैर नुक्सान पहुँचाये करना होगा एवं फलों को तोड़कर एवं एकत्रित कर ले जाना होगा । सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह अवधि घटायी अथवा बढायी जा सकती है ।
6. **इस संस्थान को अनुसन्धान और नमूना उद्देश्यों के लिए बडेड खेजडी निर्धारित 20 किलो ग्राम एंव 30 किलो ग्राम चिन्हित खेजडी पेडो के फलों की बिना मूल्य के आपूर्ति करनी होगी। बीज संग्रहण के लिए चिन्हित पेड खेजडी फल/सांगरिया तुड्वाई के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।**
7. **नीलामी में पारित स्वीकृत अधिकतम राशि का आधा भाग नीलामी की बोली स्वीकृत होने के तुरन्त बाद एवं आधी राशि फलों की शुरू हो रही पहली तुड़वाई के दिन जमा कराने होंगे ।**
8. **खेजडी फल उचित परिपक्वता चरण इन्चार्ज द्वारा तय किये जाने के अनुसार फल तौड़े जाऐंगे ।**
9. **ठेकेदार को इस संस्थान के प्रांगण में विकय स्थल रखने की सुविधा दी जाएगी. बशर्ते ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि काजरी परिसर में किसी प्रकार का अतिकमण नही किया जाये। संस्थान में विकय स्थल तथा आस – पास के क्षेत्र की सुरक्षा एवं अनुशासन का दायित्व ठेकेदार का होगा। यदि बागवानी प्रभारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त सम्बन्ध में लापरवाही की सूचना दी जाती है तो ठेकेदार पर 5000.00 रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा। इस सम्बन्ध में फर्म/ठेकेदार द्वारा लेटर हैड पर हलफनामा/शपथ–पत्र देना होगा। ( हलफनामा/शपथ–पत्र का प्रारूप सलंग्न है। )**
10. अन्य जानकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित वैज्ञानिक/सहायक प्रशासनिक अधिकारी से ले सकते हैं ।
11. सफल अधिकतम दर निविदादाता के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं की धरोहर राशि को नीलामी के पश्चात पंजीकृत डाक से लौटा दिया जाएगा
12. निदेशक, भा.कृ.अनु.प.–के.शु..क्षे.अनु.सं. (काजरी) को बिना कोई कारण बताए निविदा को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।
13. निविदादाता को इन नियम व शर्तों को हस्ताक्षर कर अपनी फर्म/पार्टी के नाम की मोहर लगाकर निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है। नियम व शर्तो की प्रतिलिपि इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in.से डाउन लोड की जा सकती है ।
14. अन्य शर्ते नीलामी के दिन निविदा खोलने से पूर्व संस्थान की समिति द्वारा सूचित की जाएगी ।

15. प्रस्तुत की गई निविदा हस्ताक्षरयुक्त होनी चाहिये । बिना हस्ताक्षर के निविदा मान्य नहीं होगी ।

16. नीलामी की स्वीकृत शर्तो में से किसी भी शर्त का स्वीकृत सफल अधिकतम दर ठेकेदार/पार्टी द्वारा फलों की ऋतु में फल तुड़ाई कार्य के दौरान उल्लंघन किये जाने पर निदेशक को इस नीलामी को निरस्त करने का अधिकार होगा और ठेकेदार/पार्टी द्वारा इस संस्थान में जमा करायी गयी समस्त जमा राशि जब्त समझी जायेगी ।

17. ठेकेदार अथवा उसके मजदूरों द्वारा **खे**जडी के पौधों को किसी प्रकार का नुकसान करने पर ठेकेदार को निदेशक द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि जमा करानी होगी ।

18. सफल अधिकतम निविदादाता / ठेकेदार/फर्म को ठेके की राशि के अलावा सिक्युरिटी राशि (ठेके की राशि का 6 प्रतिशत) भी अलग से जमा करनी होगी जो कि नीलामी की शर्तो की अनुपालना व ठेका अवधि पूर्ण होने के पश्चात वापिस देय होगी ।

19. खेजडी फल तुड़ाई के लिए पौधें हिलाये नहीं जाएंगे ।

20. नीलामी छोडने या न छोडने का अधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प.–के.शु.क्षे.0अ0सं, जोधपुर को होगा ।

21. खेजडी फलों की तुड़ाई की अवधि नीलामी की दिनांक से फलों की ऋतु मार्च वर्ष 2024 तक अथवा आदेशानुसार मान्य होगी ।

22. खेजडी फलों की तुड़ाई हेतु दी गई अवधि में पौधों को खाद व पानी इत्यादि देने का कार्य स्वीकृत सफल अधिकतम दर निविदादाता जिसके पक्ष में नीलामी स्वीकृत हो को फल की ऋतु के दौरान अपने खर्चे पर करना होगा यद्यपि सामग्री जैसे खाद और सिंचाई का पानी संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।

23. नीलामी के सफल अधिकतम दर स्वीकृत निविदादाता जिसके पक्ष में नीलामी हो के अतिरिक्त अन्य निविदादाता/फर्म/पार्टी की धरोहर राशि को पंजीकृत डाक से लौटा दिया जाएगा ।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

## *नीलामी/ठेके की अन्य शर्तें एवं नियम –*

1. निविदा पूर्ण विवरण सहित भरी जानी चाहिए, अधुरी कॉट–छॉट और अस्पष्ट निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
2. खेजडी के फलो की नीलामी हेतु निविदा दाता को निविदा प्रपत्र के साथ ₹ 8,500/- (₹ आठ हजार पांच सौ मात्र )अमानत राशि (Bid Security) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ पे ऑर्डर द्वारा जो कि "ICAR UNIT- ICAR-CAZRI JODHPUR" के नाम देय हो जमा करवाना होगा। अमानत राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।
3. निविदा प्रस्तुत करते समय अमानत राशि (Bid Security) को एक अलग लिफाफे में जिस पर अमानत राशि स्पष्ट अंकित करें तथा चिपका कर बन्द करें तथा अन्य दूसरे लिफाफे में भरी गई निविदा दर, विवरण, नियम व शर्तो तथा चाहे गए अन्य कागजातों सहित चिपका कर बन्द करने के पश्चात उस पर स्पस्ट अक्षरों में खेजडी के फलों की नीलामी हेतु निविदा अंतिम दिनांक एवं समय सहित अंकित करना होगा । दोनो बन्द लिफाफों को तीसरे बड़े लिफाफें में डालकर सील बन्द करना होगा तथा उस प्रस्तुत किये जाने वाले बड़े लिफाफे पर स्पष्ट बड़े अक्षरों में "खेजडी फलों की नीलामी हेतु निविदा" अवश्य लिखें तथा निविदा प्रस्तुति की अंतिम दिनांक एवं समय तक या इससे पूर्व कार्यालय को प्रस्तुत करें अथवा डाक/कुरियर द्वारा अवश्य पहुॅच जानी चाहिए ।
4. निविदा भरते समय ठेकेदार अपना नाम पूर्ण पता मय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर एवं पेन संख्या अवश्य लिखें एवं पेन संख्या प्रमाण पत्र की फोटो प्रतिलिपि संलग्न करें अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी ।
5. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
6. कोट की गई दर 60 दिवस की अवधि तक वैद्य रहेंगी ।
7. बिना कारण बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु..प.–के.शु.क्षे.अ.सं. (काजरी) को होगा ।
8. **ख**ेजडी के फलों की नीलामी के स्वीकृत सफलतम अधिकतम दर ठेकेदार/फर्म की जिम्मेदारी होगी कि उसके मजदूर सरकारी सम्पति को किसी प्रकार का नुक्सान न पहुॅचाए। होने वाले नुक्सान की क्षतिपूर्ति/भरपाई ठेकेदार/फर्म को करनी होगी ठेकेदार को दैनिक कार्यावधि में ही अपने मजदूरों से कार्य करवाना होगा ।
9. खेजडी के फल तौड़ने की कार्यावधि में ठेकेदार/फर्म के किसी श्रमिक/मजदूर इत्यादि को सॉप, बिच्छु या किसी जहरीले जानवर के काटे जाने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
10. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निर्णय का अन्तिम अधिकार निदेशक,भा.कृ.अनु..प.–के0 शु0 क्षे0 अ0 सं0(काजरी) का ह्रोगा।
11. खेजडी के फलों नीलामी की स्वीकृत फर्म/पार्टी/ठेकेदार को खेजडी फल तौडने के कार्य के दौरान खेजडी के फलों नीलामी के नियम व शर्तो की अनुपालना तथा खेजडी नीलामी की स्वीकृत अधिकतम राशि निर्देशित समयानुसार जमा कराने के संबंध में सरकारी आदेशानुसार/
निर्देशानुसार उचित मूल्य का एक बन्धक वांछित स्टाम्प पेपर पर भरकर नीलामी की दिनांक से 21 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।
12. खेजडी के फलों की नीलामी में सफलतम /अधिकतम दर स्वीकृत फर्म/ठेकेदार को ठेके की स्वीकृत अधिकतम राशि के अलावा सिक्यूरिटी राशि (ठेके की राशि का 6 प्रतिशत) भी अलग से जमा करानी होगी जो कि ठेके की समस्त शर्तों की अनुपालना व नीलामी के अन्तर्गत फल तौड़ने की अवधि पूरी होने के पश्चात वापिस देय होगी ।
13. खेजडी के फलों को तौड़ने के कार्य इत्यादि में लगाये गये व्यक्तियों की सूची संस्थान के संबंधित वैज्ञानिक अथवा सुरक्षा सुपरवाइजर को देनी होगी ।
14. ठेकेदार/फर्म को इस कार्य में लगे अपने श्रमिकों को भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी इनमें से जो भी अधिक हो, देनी होगी । सभी श्रमिक कानून व नियमों जैसे ESI/EPF/Service Tax etc. का पूर्ण रूप से पालन करना होगा तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों/श्रम कानूनों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इत्यादि का पूर्ण अनुसरण/निर्वाह करना होगा । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक कानूनों, नियमों] अनुदेशों व समय–समय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों इत्यादि की ठेकेदार द्वारा पालना करनी होगी और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी ।
15. काजरी परिसर में जंगली जानवरों, पशु पक्षियों को नुक्सान पहुॅचाना या इनका शिकार करना वर्जित है। ऐसा करने वाले ठेकेदार के श्रमिक/व्यक्ति/अथवा संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।
16. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा ।
17. COVID-19 नोवल कोरोना कोविड–19 के संबंध में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी आदेशों, निर्देशों की अनुपालना सख्ती से करनी होगी ।
18. खेजडी के फलों की तुड़वाई संबंधी कार्यों में ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग और सेनेट्राजेशन अनिवार्य है तथा संस्थान परिसर में खेजडी के फलों की नीलामी संबंधी फील्ड कार्यों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी आवश्यक होगी ।
19. संबंधित ठेकेदार तथा उसके श्रमिकों को मास्क लगाकर आना अनिवार्य है ।
20. संबंधित ठेकेदार को केवल वे ही श्रमिक खेजडी के फलों की तुड़वाई संबंधी कार्यो में लगाने होंगे जिनमें कोरोना वायरस से संबंधित कोई लक्षण नहीं है तथा उन सभी श्रमिको को मुॅह पर मास्क, फेश शील्ड, दास्ताने तथा हेण्ड सेनेटाईजर इत्यादि आवश्यक सामान कोरोना बचाव हेतु उपलब्ध कराना होगा ।
21. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा ।

सहायक प्रशासनिय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

**Annexure-I**

## फर्म/एजेन्सी का विवरण

1. निविदादाता फर्म/एजेन्सी के प्रोप्राईटर का नाम : ..................................................................................

2. निविदादाता फर्म/एजेन्सी का नाम एवं पूर्ण पता : मैसर्स .................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................(a copy of address proof document duly self attested should be attached).

3. (अ) टेलीफोन नं. कार्यालयः ........................................ निवासः ............................ मोबाइल नं. .............................

(ब) ई.मेल पता : ..........................................................................................................................................

4. फर्म/एजेन्सी का विवरण : ......................................................................................................

(साझेदारी डीड/संविधान यदि सोसाइटी है तो) ........................................................................................

5. अधिकृत डीलरशीप/एजेंसी का प्रमाणपत्र नम्बर : .........................................................................

6. आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन (PAN) नम्बर : .........................................................................................
(photocopyduly self attested should be attached)

7. फार्म उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा निर्गत सर्विस

8. टैक्स नम्बर/GSTIN/ Form GST REGnumber %------------------------------------------------------------
------------------------
issued by GOI and Govt. of Rajasthan

9. फर्म के बैंक का नाम व पता : ...........................................................................................................

बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड नम्बर :......................................... बैंक खाता नम्बरः ........................................

*(सही सूचना के लिए निरस्त चैक की छाया प्रति संलग्न करें)*

10. बिड सिक्युरिटी (Earnest Money)रू. 8000.00डी0डी0 नम्बरः ................................ दिनांकः ...........................
बैंक का नाम ............................................जो कि "ICAR, Unit-CAZRI, Jodhpur"के पक्ष में देय हो ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय रबर मोहर
Signature of the bidder with seal

नोट :निविदा प्रपत्र को बिना कांट–छांट के साफ–सुथरा भर कर मोहर सहित हस्ताक्षर कर स्वयं/अधिकृत प्रतिनिधि/पंजीकृत डाक/त्वरित डाक/कोरियर डाक द्वारा देय तिथि 02.04.2024 **को दोपहर 2.30 बजे** तक या इससे पूर्व निदेशक, भा.कृ.अनु.प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के नाम प्रशासन अनुभाग–चतुर्थ के टेन्डर बॉक्स में डालें। लिफाफे पर **खेजडी के फलों की नीलामी के लिए निविदा"** लिखा होना चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक द्वारा देरी से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
विस्तृत जानकारी हेतु काजरी वेबसाइट : www.cazri.res.in देखें ।

Anneture - II

# हलफनामा /शपथ–पत्र

मैसर्स.........................................................................या उसका अधिकृत व्यक्ति.............................................................. ...............................यह शपथ लेता हूँ / घोषणा करता हूँ कि मेरी फर्म या मेरे श्रमिकों द्वारा काजरी संस्थान के परिसर में अनुशासन की पालना की जायेगी, साथ ही परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण ध्यान रखा जायेगा। फल खरीदने के लिए आने वाले लोगों को विक्रय स्थल के आस पास के क्षेत्र में न जायें उसका भी ध्यान ठेंकंदार द्वारा रखा जायेगा, अगर इस दौरान विक्रय स्थल के आस पास कोई अतिक्रमण या लापरवाही फर्म के द्वारा/ अधिकृत व्यक्तियो कें द्वारा या बाहर से आने वाले ग्राहकों द्वारा की जाती है तो उसका दायित्व फर्म का होगा और इसके लिए नियमानुसार जुर्माना राशि कार्यालय में जमा करा दी जायेगी।

दिनांक................................................

हस्ताक्षर

मैसर्स..................................................................

..............................................................................